

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

फुलाराम

रही

दावा बाबत :- 88 RTA ct

मुकदमा नम्बर :- 105/2019


निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

वादी की ओर से वकील लीलाधर झावाल की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील राज परीकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रही भोजा आडी के खाता सं० 126/122 के खसरा सं० 248/1 की 5-1990 हे० वारानी खातेपरी नकलूमि में फूलसिंह पुत्र निम्बनाराम के नाम 1.657 हे० व सुखराम व सतवीर सिंह पि० फूलसिंह के नाम 0.542 हे० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वार्गीत वादभूमि में फूलसिंह पुत्र निम्बनाराम के स्थान पर फुलाराम व सुखराम व सतवीर सिंह पि० फूलसिंह के स्थान सुखराम व सतवीर सिंह पि० फुलाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड सुरक्षित किया जावे यदि रही भूमि व क के खेव हे तो खेनुमूल होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत किया जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुन्तला चौधरी)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
भादरा, जिला हेनुमानगढ़